



Sevottam Compliant



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS
सीमा शुल्क गृह, विल्लिंग्टन आईलैंड, कोच्चिन
CUSTOM HOUSE, WILLINGDON ISLAND, COCHIN-682009
An IS 15700 certified Custom House

Website: www.cochincustoms.gov.in
E-mail: commr@cochincustoms.gov.in

Control Room: 0484-2666422
Fax: 0484-2668468
Ph: 0484-2666861-64/774/776

मि.सं.सतर्कता/विविध/03/2019-सी.
F.No.Vig./Misc./03/2019-Cus.

दिनांक 04 फरवरी 2019.
dated 04 February 2019.

सतर्कता परिपत्र सं. VIGILANCE CIRCULAR NO.01/2019

सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के तहत विभिन्न कार्यों के निर्वहन के उद्देश्य से बंदरगाह(पोर्ट) पर पहुंचने वाले विदेशी जहाजों पर सीमाशुल्क के अधिकारियों को तैनात किया जाता है।

Officers of Customs are deployed on board foreign cruise vessels arriving at the port with the object of discharging various functions under the Customs Act, 1962.

2. हालांकि शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि तैनात किए गए कुछ अधिकारी जहाज पोत पर 'अनुचित मांग कर रहे हैं और देरी से मंजूरी देने की धमकी दे रहे हैं'। यह भी आरोप लगाया गया है कि जो अधिकारी उच्च सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत चलने वाले इन जहाजों को देखने के लिए झूटी पर तैनात नहीं हैं वे भी जहाजों में आने का प्रयत्न करते हैं।

Complaints are however being received that some of the officers so deployed are 'raising improper demands on the vessel and threatening delayed clearances'. It is also alleged that officers who are not posted on duty attempt to visit these vessels which are run under high security protocols.

3. इस तरह का आचरण पूरी तरह से अस्वीकार्य है और अधिकारी को ऐसे आचरण से बचना चाहिए। इस संबंध में शिकायतों की सावधानीपूर्वक जांच की जाएगी और अनुचित आचरण से सख्ती से निपटा जाएगा।

Such conduct is wholly unacceptable and officers shall refrain from such practices. Complaints in this regard will be meticulously pursued and unwarranted conduct strictly dealt with.

4. अधिकारी इस बात का ध्यान रखें कि विशेष रूप से बोर्ड क्लूज जहाजों पर इस तरह के आचरण, न केवल संगठन की व्यावसायिक अखंडता को मलीन करते हैं, बल्कि भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय धारणाओं को भी नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए अधिकारी ईमानदारी के उच्च मानकों को बनाए रखना होगा, और साथ ही इस तरह के जहाजों पर रहते हुए व्यावसायिकता, शालीनता, शिष्टाचार और संस्कारों के उच्चतम स्तर को भी प्रदर्शित करना होगा।

Officers shall appreciate that such conduct, particularly on board cruise vessels, not only defiles the professional integrity of the organisation but also vitiates international perceptions on India. Officers shall therefore not only maintain high standards of integrity but shall also display highest degrees of professionalism, decency, decorum and refinement while on board such vessels.

5. सहायक आयुक्त के पद के पर्यवेक्षक अधिकारी समय-समय पर मानकों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जाँच करेंगे।

Supervisory officers in the rank of Assistant Commissioner shall conduct periodic checks to ensure strict compliance with the standards as above.

6. ये निर्देश हवाई अड्डों (एयरपोर्ट) पर आने वाले बोर्ड चार्टर्ड टूरिस्ट एयरक्राफ्ट्स के अधिकारियों पर भी यथावत लागू होंगे।

These instructions shall apply *ipso facto* to officers on board chartered tourist aircrafts arriving at Airports.

Sd/-

(सुमित कुमार **SUMIT KUMAR**)


सीमाशुल्क आयुक्त

COMMISSIONER OF CUSTOMS

प्रति To

1. संयुक्त आयुक्त, सीमाशुल्क गृह कोचीन Joint Commissioner of Customs, Custom House Cochin
2. उप आयुक्त(निवारक), सीमाशुल्क गृह कोचीन Deputy Commissioner of Customs (Preventive), Custom House Cochin
3. सीमाशुल्क अधीक्षक (ई डी आई अनुभाग) - सीमाशुल्क गृह की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए
✓ Supdt. of Customs (EDI section)-For publication in the website of Cochin Customs
4. सूचना पटल Notice Board
5. आयुक्त की फाइल Commissioner's File

//अनुप्रमाणित ATTESTED//



कोशी अब्रहाम **KOSHY ABRAHAM**
सीमा शुल्क अधीक्षक (सतर्कता)
Superintendent of Customs (Vigilance)